

बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
अंचल कार्यालय- राईट टाउन  
जबलपुर

## वाहन बिक्री

बैंक अपनी मारुति स्विफ्ट VXi(पेट्रोल) वर्ष 2009 मॉडल कार को जिसका पंजीकरण क्रमांक MP20-CC-4081 है, उसे "जैसा है,जहां है के आधार" पर बेचना चाहता है. कार का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस (अवकाश दिवस छोड़कर) में दिनांक 09.12.2017 से 22.12.2017 को साँय 3.30 बजे से 5.30 बजे तक उपरोक्त पते पर किया जा सकता है. इच्छुक व्यक्ति अपने प्रस्ताव को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पक्ष में आहरित रु 5000/- का मांग ड्राफ्ट संलग्न करते हुए सील बंद लिफाफे में दें, जिसमें वाहन क्र. MP20-CC-4081 का एवं खरीदी की राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें. प्रस्ताव दिनांक 22.12.2017 को दोपहर 2.30 बजे तक अंचल कार्यालय, जबलपुर में जमा किया जा सकता है. पात्र प्रस्ताव स्वीकार होने पर संबंधित पक्ष को खरीदी की पूर्ण राशि तीन दिवस के अंदर बैंक में जमा करानी होगी अन्यथा बैंक के पास रखी गई रु 5000/-सुरक्षा निधि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी. नोट करें कि कार अपने नाम स्थानांतरण कराने की जवाबदारी खरीददार की होगी. बैंक किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बताए अपने पास सुरक्षित रखता है. RTO से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार रिफंड के संबंध में बैंक अपना पूर्ण स्वामित्व रखेगा.

मुख्य प्रबंधक,

(प्रभारी)जबलपुर अंचल


**Bank of Maharashtra**  
**Zonal Office-wright Town**  
**Jabalpur**

**SALE OF VEHICLE**

Bank intends to sale its vehicle Maruti swift VXI( Petrol) of Year 2009,bearing No MP20-CC-4081,on "as is where is basis". Inspection of the vehicle can be made on any working day from 09/12/2017 to 22/12/2017 except holidays between 3.30 pm to 5.30 p.m at the above mentioned address.

- Quotations are invited with earnest money deposit of Rs.5000/- by Demand Draft favoring Bank of Maharashtra at the captioned address during working hours till 22/12/2017 up to 2.30 p.m in a sealed cover marked " Offer for purchase of vehicle no MP20-CC-4081".

The offer must be specific and certain quoting the vehicle number. Please note that it is the responsibility of purchaser to transfer the vehicle in his/her own name.Bank hereby reserve the right to reject any or all offers without assigning any reason thereof. The earnest money of the offer will be forfeited if the party refuses to pay the quote amount within the period of three days from date of acceptance of the offer. Earnest money deposit of Rs.5000/- will be refunded only when the purchaser shows the transfer document of the vehicle. Bank will be the sole owner for any kind of refund money available from RTO .

  
**Chief Manager**  
**Incharge-Jabalpur Zone**